हुक्म की तामील में जारी हुए

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

**प्रार्थना पत्र संख्या 40 / 2023 GCMS NO. 2023/156**
**उनवानी ख्यालीराम आदि बनाम प्रभाती देवी आदि**
**अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट 1955**

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि राजस्व ग्राम बिलवा तहसील खेतड़ी स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 267 रकबा 1.08 हैक्टेयर में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए ग्राम बिलवा तहसील खेतड़ी में ढेहरवाला कुआ बिलवा से शहीद बनवारीलाल उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी ढेहर (बिलवा) जाने वाले प्रचलित रास्ते से पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खेत खसरा नम्बर 262 व अप्रार्थी संख्या 9 से 11 के खेत खसरा नम्बर 259 के उत्तर पश्चिम कोने से 12 फिट चौडाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारो को दिलाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया।

तहसीलदार खेतडी की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2024 / 629 दिनांक 18.07.2024 के संलग्न भू0अ0निरीक्षक खेतडी की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2023 पर अप्रार्थी संख्या 9 व 11 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश होने पर .अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर दिनांक 17.08.2024 को पक्षकारान की मौके पर उपस्थिति में पटवारी हल्का बिलवा को मय राजस्व रिकार्ड के साथ लेकर राजस्व रिकार्ड एव मौके की अवस्थिति का अवलोकन कर वास्तविक भौतिक स्थिति का जायजा लिया गया। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की अवस्थिति व वास्तविक भौतिक स्थिति का जायजा लिये जाने पर पाया कि खसरा नम्बर 267 रकबा 1.08 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 268 रकबा 1.16 हेक्टेयर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। प्रचलित रास्ता जो प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया है, उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 268 की पश्चिमी–दक्षिणी सीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिये अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिये बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम–69 (II) के तहत प्रार्थीगण को विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा

**आदेश**

अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.08.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

28.8.24.

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
.जिला नीमकाथाना (राज0

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी